

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)  
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर सोमसीसर

अनुवान धना राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या 276/2025

निर्णय दिनांक 01/07/25

धना राम पुत्र मोहन राम जाति ब्राह्मण निवासी पुनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

--:निर्णय:--

प्रार्थीनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर सोमसीसर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 393 खसरा नं. 1347/207 तादादी 0.3288 हैक्ट., ख.नं. 170 तादादी 3.4521 हैक्ट., ख.नं. 220 तादादी 3.0348 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम पुनसीसर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम धनराज पुत्र मोहनराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम धना राम पुत्र मोहन राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम धना राम पुत्र मोहन राम किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम पुनसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 393 खसरा नं. 1347/207 तादादी 0.3288 हैक्ट., ख.नं. 170 तादादी 3.4521 हैक्ट., ख.नं. 220 तादादी 3.0348 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम धनराज पुत्र मोहनराम Delete कर इसके स्थान पर धना राम पुत्र मोहन राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/07/25 को कैम्प कोर्ट सोमसीसर में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)